बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 177283 पटना, दिनांक 13/02/2014

ग्रा0वि09(28)BRDS-14/2014

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय :- **मनरेगा योजना के सफल कार्यान्वयन के संबंध में ।**

महाशय,

23 जनवरी 2014 को उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठक में मनरेगा की समीक्षा के क्रम में यह महसूस किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में 28 फरवरी 2014 तक 10,000 से कम मानव दिवसों का सृजन परिलक्षित होगा, उनके पंचायत रोजगार सेवकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी ।

2. **इस क्रम में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय संसूचित किया जाता है :-**

(i) पूर्व से कार्यरत वे सभी पंचायत रोजगार सेवक, जो 31.03.2014 तक निम्न सभी उपलब्धि हासिल नहीं करते हैं उनकी संविदा नवीकृत नहीं की जाय । उन्हें 01 अप्रैल 2014 से कार्य पर नहीं रखा जाएगा ।

(क) 31 मार्च 2014 तक प्रति पंचायत न्यूनतम 12500 मानव दिवसों का सृजन ।

(ख) दिनांक 31.03.2012 के पूर्व प्रारंभ की गयी सभी योजनाओं (वृक्षारोपण के मामले में दिनांक 31.03.2011 के पूर्व ली गयी सभी योजनाएं) में से 80% की MIS पर पूर्णता ।

(ग) ग्राम पंचायत में न्यूनतम 50 शौचालय भौतिक रूप से पूर्ण एवं MIS प्रविष्टि ।

(ii) पदस्थापन अवधि में किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं रही हो ।

(iii) पदस्थापन अवधि के दौरान कोई प्रमाणित आरोप नहीं हो ।

3. इस निदेश का तत्काल व्यापक परिचालन किया जाय । जिला कार्यक्रम समन्वयक इस आदेश के पालन हेतु जिम्मेदार होंगे ।

4. इस क्रम में होने वाली रिक्तियों को नये पैनल से भरा जाय ।

विश्वासभाजन

10/2/14

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव